विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार की वित्तीय व्यवस्था एवं लेखे पर दो अध्याय तथा सरकार के वित्तीय लेन-देन से उद्‌भूत 3 समीक्षाओं 13 कंडिकाओं को सम्मिलित करते हुए 4 अध्याय सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा समीक्षाओं एवं महत्वपूर्ण कंडिकाओं में अंतर्निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में सन्निहित है।

1. राज्य सरकार के वित्त पर एक विहंगावलोकन

📖 प्रथम पूर्ण वित्तीय वर्ष में, झारखण्ड में 305 करोड़ रूपये राजस्व घाटा हुआ क्योंकि इसकी राजस्व-प्राप्तियाँ प्रारम्भ में ही भारतीय रेलवे को 250 करोड़ रूपये के परिदान/वित्तीय सहायता के भुगतान में राजस्व व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहीं।

📖 राजस्व प्राप्तियाँ राज्य सरकार की निधि के स्रोत की बहुत महत्वपूर्ण संघटक थी। वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियाँ 4495 करोड़ रूपये में, कर राजस्व का योगदान 1586 करोड़ रूपये था (35 प्रतिशत) जबकि कर-भिन्न राजस्व मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों से 852 करोड़ रूपये (19 प्रतिशत) था। संघीय करों और शुल्कों का राज्यांश 1603 करोड़ रूपये (36 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान 454 करोड़ रूपये (10 प्रतिशत) था।

📖 2001-02 के दौरान राजस्व व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय का 82 प्रतिशत था जो राजस्व प्राप्तियाँ से अधिक था जिसके कारण 305 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय का अल्प अंश 12 प्रतिशत था और ऋण एवं अग्रिमों का 6 प्रतिशत था।

📖 लोक व्यय में बर्बादी, निधियों का विचलन एवं अपूर्ण योजनओं में निधि का अवरूद्ध रहना व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता था।

📖 राज्य सरकार का योजना प्रदर्शन दयनीय था जो राजस्व व्यय का 26 प्रतिशत था। विभिन्न राज्य योजनागत योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्र योजनागत योजनाओं से 1350.24 करोड़ रूपये की भारी बचत हुई। (कुल योजना प्रावधान का 38 प्रतिशत)

[कंडिका 1.1 से 1.11.4]

📖 2001-2002 के दौरान, राज्य सरकार का दायित्व 31.75 प्रतिशत बढ़ा जबकि परिसम्पत्तियाँ 153.84 प्रतिशत बढ़ीं। परिसम्पत्तियों में सरकारी कम्पनियों में निवेश (7 करोड़ रूपये) सन्निहित है।

[कंडिका 1.1 से 1.11.4]

2. विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

📖 वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल 8438 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान के विरूद्ध राज्य सरकार ने 6067 करोड़ रूपये का व्यय किया जिससे 28 प्रतिशत की वास्तविक बचत हुई।

📖 अनुदान में 46 मामले और राजस्व खण्ड में विनियोग के 6 मामले और पूँजीगत खण्ड में विनियोग का एक मामला और अनुदान के 18 मामलों के फलस्वरूप 2371 करोड़ रूपये की कुल बचत हुईं।

📖 अगस्त 2001, दिसम्बर 2001 और मार्च 2002 में सरकार द्वारा प्राप्त किया गया 1264 करोड़ रूपये का अनुपूरक प्रावधान मूल बजट प्रावधान 7174 करोड़ रूपये का 18 प्रतिशत था। इसमें से 40 मामलों में 399 करोड़ रूपये का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक साबित हुआ। 11 अन्य मामलों में 558 करोड़ रूपये के अनुपूरक प्रावधान में से 425 करोड़ रूपये अधिकाई साबित हुए।

📖 3,60,369 रूपये का अधिकाई व्यय था जिसका भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत नियमन आवश्यक है।

📖 36 अनुदानों और 3 विनियोजनों में 2 करोड़ रूपये से अधिक की सतत बचत हुई थी।

📖 27 अनुदानों और 3 विनियोजनों में प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपये से अधिक की बचत जो कुल मिलाकर 1008 करोड़ रूपये थी, अभ्यर्पित नहीं की गयी जबकि 5 मामलों में 2.06 करोड़ रूपये का अभ्यर्पण अनुचित/अधिकाई था।

📖 विभिन्न आँकड़ों का महालेखाकार की पंजी में दर्ज आँकड़ों के साथ असामंजन को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में वर्षों से इंगित किया जा रहा था। 2001-2002 के दौरान 1736 इकाइयों के विनियोजन अंतर्गत 3325 करोड़ रूपये की व्यय राशि असामंजित पड़ी रही।

[कंडिका 2.1 से 2.4]

3. झारखण्ड में वन विभाग का कार्य-कलाप

📖 वन एवं पर्यावरण विभाग केन्द्र प्रायोजित योजना सहित विभिन्न योजनाओं के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि प्राकृतिक वन विकास एवं रख-रखाव, अवक्रमित वन की पुनर्स्थापना, वन भूमि में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण, वन्य जीवन का संरक्षण और इनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया था। उन योजनाओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था और योजना का बुनियादी लक्ष्य अपूर्ण रहा। पूरे तौर पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा अवधान और अनुश्रवण के अभाव में योजनायें पीछे रह गयीं।

🕮 वर्ष 1997 से 2002 के दौरान 878.70 करोड़ रूपये के कुल बजट प्रावधान में से 388.95 करोड़ रूपये (योजना : 7 प्रतिशत और गैर-योजना : 10 प्रतिशत) अनुपयोगित रहा।

🕮 भारत सरकार से प्राप्त 49.79 करोड़ रूपये में से 31.96 करोड़ रूपये राज्य सरकार उपयोग करने में असफल रही।

🕮 अनुमोदित कार्य-योजनाओं में परती/अवक्रमित वन क्षेत्र की उपलब्धता के बिना 2334.75 हेक्टेयर वन भूमि पर 3.36 करोड़ रूपये की लागत से वृक्षारोपण किया गया।

🕮 अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के बिना 7217.59 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य में 5.68 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

🕮 सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी योजनाओं पर 2.21 करोड़ रूपये मजदूरी सहित 3.14 करोड़ रूपये का दायित्व निर्मित किया गया।

🕮 वर्ष 1998-2001 के दौरान 10 वन प्रमण्डलों ने बिना स्वीकृति के लकड़ी के स्तम्भ एवं सीमा स्तम्भ के निर्माण पर 33.65 लाख रूपये का अनधिकृत व्यय किया।

🕮 वर्ष 2000-02 के दौरान 10 वन प्रमण्डलों द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्यों पर 80.49 लाख रूपये का अनियमित व्यय किया गया।

🕮 72.28 लाख रूपये की माँग सृजित नहीं किये जाने के कारण पूरक वृक्षारोपण कार्यान्वित नहीं किया गया।

🕮 परिचालित बेतार तंत्र के संस्थापन में विफल रहने के कारण 94.24 लाख रूपये का निष्फल व्यय।

[कंडिका 3.1]

4. ग्रामीण आवास योजना

🕮 इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी पी एल) गैर अ.जा./अ.ज.जा. के निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना का कर्यान्वयन दयनीय था और लक्षित आवासों का 68 प्रतिशत अपूर्ण रहा तथा पूरी केन्द्रीय निधि का उपयोग नहीं हुआ। निधियों के विचलन, अनियमित व्यय, कार्य का परिसर्जन आदि मामले योजना के खराब अनुश्रवण को दर्शाता है जिसका योजना के निराशाजनक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुपूरक योजना के मामले में यथा समग्र आवास योजना (एस ए वाई), ग्रामीण भवन केन्द्र (आर बी सी) और ग्रामीण आवास एवं निवास विकास (आई एस आर एच एच

डी) की अभिनव योजना निधि के उपयोग के प्रस्ताव का नहीं भेजा जाना गरीब ग्रामीणों की दशा के उत्थान में अभिरूचि की कमी दर्शाता है।

🕮 चूँकि 19 से 34 प्रतिशत तक की उपलब्ध निधियाँ अनुपयोगित रहीं जिसके कारण 117.39 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता नहीं मिली।

🕮 3,21,233 लक्षित आवासों के विरूद्ध 2,40,981 आवास ही पूरे हुए। पूरे बने 2,40,981 में मात्र 198 धुँआ रहित चुल्हा एवं 590 स्वच्छ शौचालय का निर्माण हुआ। 28786 आई ए वाई आवास महिला या संयुक्त परिवार के पुरूष और महिला सदस्यों के संयुक्त नाम के बदले परिवार के पुरूष सदस्य को आवंटित किया गया।

🕮 नमूना जाँच किये गये जिलों में आई ए वाई निधि का अन्य योजनाओं में विचलन (1.66 करोड़ रूपये) आई ए वाई निधियों (8.90 लाख रूपये) का दुरूपयोग, लाभुकों की योजना पंजी एवं आई ए वाई रोकड़ पंजी में दर्शायी गयी राशि के मध्य विसंगति (1.44 करोड़ रूपये) और अनधिकृत व्यय (18.60 लाख रूपये) देखा गया।

🕮 नमूना जाँच किये जिलों में मात्र 29 में 56 प्रतिशत तक का लक्षित आवास पूरा किया गया। 4 जिलों के 12 प्रखण्डों में, 6.76 करोड़ रूपये व्यय होने के बाद भी 4579 आवास 2 से 5 वर्ष तक अपूर्ण/अपसर्जित रहे। 4 जिलों के 10 प्रखण्डों में 9.25 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 5464 आवास बी पी एल परिवारों से संबंध नहीं रखनेवाले व्यक्तियों को आवंटित किये गये। धनबाद जिला में 7023 लाभुकों को 1.76 करोड़ रूपये का कम भुगतान हुआ।

🕮 ग्रामीण विकास विभाग ने भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को समग्र आवास योजना, ग्रामीण भवन केन्द्र और ग्रामीण आवास एवं निवास विकास की अभिनव योजना हेतु निधियों को विमुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

[कंडिका 3.2]

5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

🕮 *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एम जी एस वाई) एक पावन कार्यक्रम है जो स्वरोजगारियों को बैंक से उधार एवं सरकारी सहायता के मिश्रण के द्वारा आय उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्याँ प्रदान करते हुए स्वरोजगार के विभिन्न पहलुओं से आच्छादित है। 1999-2002 के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षित 4.26 लाख स्वरोजगारियों की सहायता के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1.15 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गयी यद्यपि 42.28 करोड़ रूपये मार्च 2002 तक अनुपयोगित ही रह गये।*

➢ उपलब्ध निधियों के कम उपयोग के फलस्वरूप 30.57 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता कम प्राप्त हुई।

➢ परिहार्य व्यय के मामलों के अलावे वाहन इत्यादि के क्रय/रख-रखाव आदि पर 63.84 लाख रूपये का दुरूपयोग किया गया।

➢ सहायता अनुदान, परिक्रमण निधि एवं प्रशिक्षण के लिए चिन्हित निधियों क्रमशः 68.11 करोड़ रूपये और 11.36 करोड़ रूपये एवं 11.36 करोड़ रूपये के विरूद्ध 96.12 करोड़ रूपये, 1.45 करोड़ रूपये और 1.52 करोड़ रूपये इन घटकों पर व्यय किये गये जो निधियों के उपयोग से पूरी तरह मेल नहीं रखता।

➢ योजना की भौतिक प्रगति बहुत ही दयनीय थी जैसा कि मात्र 1.15 लाख स्वरोजगारियों की ही सहायता की गयी। मात्र 28984 (25 प्रतिशत) सहायता प्राप्त स्वरोजगारी ही प्रशिक्षित थे और 75 प्रतिशत स्वरोजगारियों को बिना प्रशिक्षण के ही सहायता दी गयी जो योजना की असफलता को दर्शाता है।

➢ 6.21 करोड़ रूपये की सहायता गैर- बी पी एल परिवारों को प्रदान की गयी।

➢ आई टी आई के व्यर्थ अवनिर्माण पर 44.40 लाख रूपये का अनावश्यक व्यय किया गया और सहकारिता समिति को 17.50 लाख रूपये की अनुचित वित्तीय सहायता दी गयी।

[कंडिका 3.3]

6. स्वास्थ्य विभाग में भण्डारों का कुप्रबंधन

➢ लगभग 40 प्रतिशत दवाइयों का क्रय बिना वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के किया गया।

➢ निजी फर्मों/अनधिकृत अभिकरणों से बिना निविदा आमंत्रित किए/क्रय समिति के अनुमोदन के 7.01 करोड़ रूपये की दवाइयाँ खरीदी गयीं।

➢ औषधि निरीक्षकों द्वारा संग्रहित दवा के 63 नमूनों में 18 अव-मानक पाये गये।

➢ 44.07 लाख रूपये के उपकरणों की खरीद बिना मानकों के पालन किये हुई। 21.95 लाख रूपये के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान पर सी टी स्कैन मशीन का क्रय हुआ। मरम्मति के अभाव में 64.69 लाख रूपये के उपकरण बेकार पड़े थे।

[कंडिका 3.4]

7. सफाई-कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना

➢ झारखण्ड में केन्द्र प्रायोजित सफाई-कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास योजना पूर्णतः विफल रही क्योंकि सरकार सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए चिन्हित ही नहीं कर सकी।

➢ केन्द्रीय सहायता के 10.85 करोड़ रूपये में से 6.60 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य जनजाति सहयोग निगम द्वारा सावधि जमा में निवेशित किया गया और शेष राशि 10 जिलों में वितरण के एक वर्ष बाद भी अनुपयोगित रही।

➢ चूँकि शुष्क शौचालयों को चिन्हित नहीं किया गया, अतएव उसे जल वाहित में रूपांतरित कर भंगियों द्वारा मैला साफ करने की प्रथा भी नहीं हटाया जा सका।

[कंडिका 3.5]

8. निधियों का दुरूपयोग

➢ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) वालों के लिए भा.स. द्वारा प्रायोजित योजनाओं के 1.31 करोड़ रूपये को ग्रामीण लोगों की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए दुरूपयोग किया गया।

➢ 5 प्रखण्डों में इ.ए.एस. निधि के 85.08 लाख रूपये का दुरूपयोग किया गया, जिससे लक्षित ग्रामीण लोग लाभ से वंचित रहे।

[कंडिका 3.6]

9. परिहार्य/निष्फल/अस्वीकार्य/निरर्थक व्यय

➢ कार्यों के अपसर्जित होने के फलस्वरूप 36.94 लाख रूपये का निष्फल व्यय।

[कंडिका 4.1]

➢ भू-क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में विलंब के फलस्वरूप 49.65 लाख रूपये का परिहार्य व्यय।

[कंडिका 4.2]

➢ प्रमण्डलीय पदाधिकारी, यांत्रिकी प्रमण्डल, चाण्डिल द्वारा कम किये गये विद्युत भार पर आपूर्ति करने में दिखायी गयी लापरवाही एवं प्रयास की कमी के फलस्वरूप फरवरी 2003 तक 6.40 करोड़ रूपये की हानि।

[कंडिका 4.3]

➢ जिला शिक्षा अधीक्षक दुमका और हजारीबाग में शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते पर 1.15 करोड़ व्यय किये जो सेवा कालीन प्रशिक्षण पर पदस्थापन के पूर्व बिना कार्य के थे।

[कंडिका 3.7]

10. अन्य रूचिकर बिन्दु

➢ पुलिस अधीक्षक, धनबाद, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति मूल्य के 53.77 लाख रूपये की वसूली में असफल।

[कंडिका 3.8]

➢ अस्तित्वहीन बटालियनों के लिए वाहनों, बेतार सेट एवं उपकरणों की खरीद के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 6.76 करोड़ रूपये की अनुचित ढंग से निकासी।

[कंडिका 3.9]

➢ एक सहायक अभियंता, जिसकी नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई थी, को अग्रिम के अनियमित भुगतान के फलस्वरूप 27.37 लाख रूपये की वसूली नहीं/सरकारी धन की हानि।

[कंडिका 5.1]

➢ झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद के अनुबंध के पुर्नजीवित नहीं करने और उच्च दर से पुनरीक्षित विपत्र प्रस्तुत नहीं करने से भट्ठियों के लिए आपूरित ऊर्जा पर 1.05 करोड़ रूपये के उद्ग्रहणीय राजस्व क्षय।

[कंडिका 6.2.1]